प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिका निगम,
मध्य प्रदेष
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद्,
मध्य प्रदेष

विषयः– ई–नगर पालिका के माध्यम से वृक्ष अभिवहन पास की अनुमति प्राप्त करने हेतु।

विषयान्तर्गत लेख हैं कि ई–नगर पालिका के माध्यम से वृक्ष अभिवहन पास की अनुमति प्राप्त करने हेतु विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा आवष्यक मार्गदर्षन चाहा जा रहा हैं। इस हेतु www.mpenagarpalika.gov.in पोर्टल पर वृक्ष कटाई एवं छँटाई/वृक्ष अभिवहन टेब पर क्लिक करने के पश्चात् निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(अ) आवेदक द्वारा आवेदन करने की प्रक्रियाः–

1. सर्वप्रथम आवेदक निकाय जिसमें आवेदन करना हैं, का चयन करेगा। तदुपरांत अनिवार्य जानकारियां जैसे नाम, पता, पिता/पति का नाम, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करें।

2. तदोपरांत आवेदक द्वारा वनोपज जिसका अभिवहन किया जाना हैं, की कटाई/छँटाई की अनुमति का विवरण जैसेः अनुमति आदेष संख्या, अनुमति आदेष दिनांक एवं वृक्ष कटाई/छटांई की अनुमति को अपलोड करेगा।

3. आवेदक द्वारा प्रत्येक वनोपज जिस हेतु अभिवहन अपेक्षित है, से संबंधित वृक्ष उत्पाद का विवरण Add Timber /Add Fuel Wood Tab द्वारा दर्ज किया जा सकता हैं। इमारती एवं अन्य उपयोगी वनोपज की जानकारी Timber में, एवं जलाऊ की जानकारी Fuel Wood में प्रविष्टि की जावेगी। Timber के अंतर्गत प्रत्येक नग का विवरण दिया जाना होगा एवं Fuel Wood के अंतर्गत प्रजातिवार चíks (Stacks) का विवरण दर्ज किया जावेंगा। इसी क्रम में वनोपज की जानकारी हटाने हेतु Remove Timber/ Remove Fuel Wood का उपयोग करें।

4. आवेदक द्वारा तदोपरांत स्थान का विवरण जहां वनोत्पाद को संग्रहित किया गया हैं, जैसेः पता, वार्ड नंबर, ज़ोन नंबर इत्यादि दर्ज किया जाना अपेक्षित हैं।

5. अभिवहन पास हेतु आवेदक को अगले क्रम में गंतव्य का विवरण जहां वनोत्पाद का परिवहन किया जाना हैं, की जानकारियों की प्रविष्टी की जाना हैं।

6. आवेदक अभिवहन हेतु प्रस्तावित वाहन का प्रकार, ट्रिप की संख्या, पंजीकरण क्रमांक, वाहन के विनिर्माण (मेक), परिवहन की प्रस्तावित तिथि उपलब्ध करावें।

7. आवेदन प्रक्रिया हेतु निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात् आवेदन जमा किया जाना हैं। समस्त भुगतान ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे।

8. आवेदन जमा करने के पश्चात Transaction No. स्वतः ही ई–नगरपालिका के सेप साफ्टवेयर द्वारा जनरेट हो जाएगा। आवेदक को आवेदन जमा होने पर Transaction ID, आवेदन जिस अधिकारी को अग्रेषित किया गया हैं, उसके नाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी एसएमएस द्वारा प्रेषित होगी। आवेदन पत्र जमा होने पर संबंधित लिपिक को एसएमएस द्वारा Transaction ID आवेदक का नाम, पता की जानकारी प्राप्त होगी।